

प्रेस नोट दिनांक 04.07.2024

प्रेस नोट थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़

दिनांक- 04.07.2024

- ➡ पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक और कड़ा एक्शन
- ➡ पुलिस अधीक्षक के जनपद में आते ही दोहराई अपराध के प्रति जीरो टालरेंस नीति
- ➡ पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये सख्त निर्देश
- ➡ चेकिंग के दौरान थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत कालीदीन का पुरवा मोड़ से रामनगर की तरफ जाने वाली रोड जनवामऊ के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- ➡ शांति अभ्यस्त व सक्रिय गिरोहबन्द अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी
- ➡ थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभ्यस्त गैंगलीडर व सदस्य के विरुद्ध की गयी कार्यवाही
- ➡ अभियुक्त फिरदौस थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ में दुष्कर्म/ पाँक्सो एक्ट, अपहरण, चोरी, गैंगेस्टर जैसे जघन्य अपराधों में संलिप्त
- ➡ थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ के अपहरण, दुष्कर्म के अभियोग में 25000/-₹0 का इनामिया वांछित अपराधी था
- ➡ थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-91/22 धारा- 363, 366, 504, 506, 376 भादवि0 व 3/ 4 पाक्सो एक्ट में वांछित/ पुरस्कार घोषित था अभियुक्त

घटना का विवरण-

वादिनी की लड़की को अभियुक्त फिरदौस पुत्र मुबारक अली नि०ग्राम जनवामऊ थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ के द्वारा बहलाकर फुसलाकर भगा ले जाने, दुष्कर्म करने, गाली- गलौज करने, मारपीट करने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०-91/22 धारा- 363, 366, 504, 506, 376 भादवि० व 3/ 4 पाक्सो एक्ट बनाम 01 अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

अभियुक्त फिरदौस उपरोक्त थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ के मु०अ०सं०-91/22 धारा- 363, 366, 504, 506, 376 भादवि० व 3/ 4 पाक्सो एक्ट में लगातार वांछित चल रहा था इस पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक- 02.05.2024 को 25000/- रू० का इनाम घोषित किया गया था ।

अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, रेन्ज प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ० अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद प्रतापगढ़ अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत कुमार सिंह के कुशल पर्वेक्षण में थानाध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह उ०नि० रमेश सिंह, हे०का० महेश सिंह, का० दुर्वीन यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी एवं संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थाना नवाबगंज में मु०अ०सं०- 42/20 धारा- 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ का वारण्टी व मु०अ०सं०-91/22 धारा- 363, 366, 504, 506, 376 भादवि० व 3/ 4 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त फिरदौस (उम्र- 29 वर्ष) पुत्र मुबारक अली नि०ग्राम जनवामऊ थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ़ को दिनांक 04.07.2024 समय 08.05 बजे सुबह 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ थाना नवाबगंज क्षेत्रान्तर्गत कालीदीन का

पुरवा मोड़ से रामनगर की तरफ जाने वाली रोड ग्राम जनवामऊ के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त फिरदौस उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया, उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना नवाबगंज में मु0अ0सं0 104/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. फिरदौस पुत्र मुबारक अली नि0ग्राम जनवामऊ थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ उम्र- 29 वर्ष

अभियुक्त *फिरदौस पुत्र मुबारक अली नि0ग्राम जनवामऊ थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ उपरोक्त (HS.NO. 82A) का आपराधिक इतिहास-*

01. मु0अ0सं0- 177/18 धारा- 307, 411, 413, 419, 420 भादवि0 थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0- 178/18 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु0अ0सं0- 42/20 धारा- 2/3 गैंगेस्टर एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

04. मु0अ0सं0- 115/20 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

05. मु0अ0सं0- 148/20 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

06. मु0अ0सं0- 91/20 धारा- 363, 366, 504, 506, 376 भादवि0 व 3/ 4 पाक्सो एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ । ।

07. मु0अ0सं0- 175/22 धारा- 174 ए भादवि0 थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ । ।

08. मु0अ0सं0- 104/24 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष धीरेन्द्र ठाकुर मय हमराह उ0नि0 रमेश सिंह, हे0का0 महेश सिंह, का0 दुर्वीन यादव
थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 04.07.2024

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास, मारपीट करने, गाली- गलौज करने, जान से मारने की धमकी देने एवं असलहे से फायरिंग कर दहशत फैलाने के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दिलीपपुर पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत ताला मोड़ तिराहे के पास से अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

घटना का विवरण-

दिनांक 05.04.2024 की शाम को वादी के परिवार को घर के बाहर पुरानी रंजिश को लेकर एक राय कुछ व्यक्तियों द्वारा लाठी, डण्डा, फरसा व अवैध असलहे के साथ जान से मारने की नियत से वादी के परिवार से मारपीट करना, गाली- गलौज करना, जान से मारने की धमकी देते हुए एवं अवैध असलहे से फायरिंग कर दहशत फैलाने के संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 42/2024 धारा 147,148,149,307,323, 504,506,286,427 भादवि बनाम 10 व्यक्ति नामजद व 06 व्यक्ति नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी दिलीपपुर के नेतृत्व में दिनांक 03.07.2024 को समय 20.45 बजे थाना दिलीपपुर के उ0नि0 जगदीश प्रसाद वर्मा मय हमराह का0 अनूप कुमार द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त एवं सदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 42/2024 धारा 147,148,149,307,323, 504,506,286,427 भादवि से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 01. मो0 आरिफ पुत्र कियाफतउल्ला निवासी ग्राम खमपुर थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र दिलीपपुर के ताला मोड़ तिराहे के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 42/2024 धारा 147,148,149,307,323, 504,506,286,427 भादवि थाना दिलीपपुर, प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- मो0 आरिफ पुत्र कियाफतउल्ला निवासी ग्राम खमपुर थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि जगदीश प्रसाद वर्मा मय हमराह का0 अनूप कुमार, थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 04.07.2024

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़

- गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना कंधई पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रान्तर्गत मीरनपुर पुलिया के पास से अभियुक्त गिरफ्तार किया गया
- नए आपराधिक कानून के तहत दर्ज किया गया था मुकदमा।

घटना का विवरण-

दिनांक 02.07.2024 को सुबह थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ताला में वादिनी का घर के सामने बाग हैं, जिसमें बाग मालिक अजीत प्रताप सिंह व सहयोगी अनवर हुसैन पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ताला बाजार थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा कटीले तार लगा रखे है, वादिनी की माता घर के सामने बाग के पास टहलते समय कटीले तार में करंट दौड़ने से वादिनी की माता की मृत्यु हो जाने के संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 186/2024 धारा 105 BNS बनाम 02 व्यक्ति नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कंधई के नेतृत्व में दिनांक 04.07.2024 को समय 10.10 बजे थाना कंधई के उ0नि0 अशोक यादव मय हमराह का0 ऋषिकेश तिवारी, का0 संतोष यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त एवं सदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 186/2024 धारा 105 BNS से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त, 01. अनवर हुसैन पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ताला बाजार थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र कंधई के मीरनपुर पुलिया के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 186/2024 धारा 105 BNS थाना कंधई, प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- अनवर हुसैन पुत्र अब्दुल सलाम निवासी ताला बाजार थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अशोक यादव मय हमराह का0 ऋषिकेश तिवारी, का0 संतोष यादव, थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़ ।